<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>05/09/2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आँचलिक कार्यालय ने अंबर दलाल मामले में चल रही जाँच के तहत 03/09/2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मुंबई और कोलकाता में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी कार्रवाई के दौरान, चल संपत्ति यानी नकदी, बैंक फंड, डीमैट खाते में 2 करोड़ रुपये की होल्डिंग्स को फ्रीज कर दिया गया और दुबई में एक अचल संपत्ति से संबंधित संपत्ति के दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस सहित कई आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

ईडी ने मेसर्स रिट्ज कंसल्टेंसी सर्विसेज के मालिक अंबर दलाल के खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की। अंबर दलाल पर उच्च रिटर्न का वादा करके एक संदिग्ध पोंजी योजना के माध्यम से निवेशकों से पैसे लेने और फिर शुरुआती रिटर्न देने के बाद उनके पैसे लेकर फरार होने का आरोप है। यह पता चला है कि अंबर दलाल ने 1300 निवेशकों से 600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई है। उसे मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

ईडी की जाँच में पता चला है कि अंबर दलाल ने निवेशकों से इस बहाने से पैसे जुटाए कि उसने 9 कमोडिटी (सोना, चांदी, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, जस्ता, सीसा, निकल, तांबा, एल्युमीनियम) में निवेश किया है और उनमें व्यापार किया है, जिससे पूंजी सुरक्षित रहेगी और अपने निवेशकों को 18%-22% का वार्षिक रिटर्न देने का वादा किया है। इसके अलावा, यह भी पता चला है कि इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उसने यूएई और यूएसए के निवेशकों से भी पैसे जुटाए हैं।

तलाशी अभियान में एंट्री ऑपरेटरों के एक नेटवर्क का पता चला है, जो अंबर दलाल के बैंक खाते में समायोजन प्रविष्टियां प्रदान करके उसके द्वारा जुटाई गई नकदी को चैनलाइज करते थे। यह भी पता चला है कि नए निवेश से प्राप्त भुगतान का उपयोग पुराने निवेशकों को मासिक रिटर्न देने के लिए किया जा रहा था। यह भी पता चला है कि अंबर दलाल ने ठगे गए निवेशकों से प्राप्त धन को अपने सहयोगियों के खातों में जमा किया, जिसका उपयोग शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए किया गया। इन सहयोगियों ने अंबर दलाल द्वारा दिए गए धन का उपयोग भारत और विदेशों में संपत्तियां हासिल करने के लिए किया है। दुबई में एक सहित भारत में ऐसी चार अचल संपत्तियों की पहचान की गई है। इस मामले में अब तक कुल 39 करोड़ रुपये (लगभग) फ्रीज़ किए गए हैं।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।